राजस्थान सरकार

चिकित्सा (ग्रुप-5) विभाग

क्रमांक प.12(38)चि.5/94-पार्ट-III

जयपुर, दिनांक 25 जुलाई, 2001

अधिसूचना

प्रसवपूर्व निदान तकनीक (विनियमन और दुरुपयोग निवारण) अधिनियम, 1994 की धारा 17 की उपधारा (5) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, राज्य के सम्पूर्ण क्षेत्र के लिए नियुक्त समुचित प्राधिकारी को उनके कृत्यों के निर्वहन में सहायता करने एवं सलाह देने के लिए एक सलाहकार समिति का गठन करती है, जिसमें निम्नांकित सदस्य होंगे :-

1. सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज, जयपुर के स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग का विभागाध्यक्ष;
2. सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज, जयपुर के शिशु रोग विभाग का विभागाध्यक्ष;
3. आनुवंशिकी विज्ञानी (राज्य सरकार द्वारा मनोनीत);
4. तीन विख्यात सामाजिक कार्यकर्ता, जिनमें से कम से कम एक महिला संगठन के प्रतिनिधि में से होगा (राज्य सरकार द्वारा मनोनीत);
5. निदेशालय चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं प.क. (आई.ई.सी.) विभाग जयपुर में कार्यरत जन सम्पर्क अधिकारी; तथा
6. निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, जयपुर में कार्यरत उप विधि परामर्शी।

नोट :-

1. सलाहकार समिति में क्रम सं. एक व दो पर अंकित सदस्यों में से जो भी वरिष्ठ होगा, वह सलाहकार समिति का अध्यक्ष होगा।
2. सलाहकार समिति में क्रम सं. 1, 2, 5 एवं 6 के अतिरिक्त अन्य सदस्यों का कार्यकाल तीन वर्ष का रहेगा।
3. सलाहकार समिति किन्हीं दो बैठकों को मध्य 60 दिवस से अधिक का अन्तराल नहीं होगा।

आज्ञा से

(पी. लाल)
उप शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं :-

1. सचिव, मा. मुख्यमंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, राज्य मंत्री, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं प.क. राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार, जयपुर।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं प.क. विभाग, राज. जयपुर।
5. निजी सचिव, विशिष्ठ शासन सचिव, चिकित्सा स्वा. विभाग, राज. जयपुर।
6. समस्त जिला कलेक्टर, राजस्थान।
7. अनुभागाधिकारी, माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली।
8. सहायक आयुक्त (पॉलिसी) स्वास्थ्य एवं प.क. मंत्रालय, भारत सरकार, निर्माण भवन, नई दिल्ली।
9. निदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर।
10. निदेशक, जन सम्पर्क विभाग, राजस्थान, जयपुर।
11. निदेशक (प.क.)/(जन स्वास्थ्य)/(आई.ई.सी.)/ (एड्स) मु.।
12. समस्त प्रधानाचार्य, मेडिकल कॉलेज, राजस्थान।
13. विशेषाधिकारी चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राज., जयपुर।
14. समस्त संयुक्त निदेशक (जोन) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, राजस्थान।
15. समस्त उपखण्ड अधिकारी, राजस्थान।
16. उप विधि परामर्शी, निदेशालय चिकित्सा एवं स्वा. सेवाएँ, राज. जयपुर।
17. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, राजस्थान।
18. समस्त उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (प.क.) उपखण्ड, राजस्थान।
19. समस्त प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, राजस्थान।
20. समस्त मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य अधिकारी, राजस्थान।
21. समस्त जिला जन सम्पर्क अधिकारी, राजस्थान।
22. जन सम्पर्क अधिकारी, निदेशालय चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं प.क. (आई.ई.सी.) सेवाएँ, राज. जयपुर।
23. अधीक्षक, राजकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को भेजकर लेख है कि कृपया इसे आज के असाधारण राजस्थान राजपत्र में प्रकाशित करने का श्रम करें।
24. रक्षित पत्रावली।

उप शासन सचिव

राजस्थान सरकार

चिकित्सा (ग्रुप-5) विभाग

क्रमांक प.2 (38) चि.5/94-पार्ट-III

जयपुर दिनांक 16 जून, 2001

अधिसूचना

प्रसवपूर्व निदान तकनीक (विनियमन और दुरुपयोग निवारण) अधिनियम, 1994 की धारा 17 की उपधारा (5) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार समस्त समुचित प्राधिकारियों को उनके कृत्यों के निर्वहन में सहायता करने एवं सलाह देने के लिए प्रत्येक जिले के क्षेत्र के लिए एक सलाहकार समिति का गठन करती है, जिसमें निर्म्नांकित सदस्य होंगे :

1. वरिष्ठतम वरिष्ठ स्त्री रोग विशेषज्ञ।
2. वरिष्ठतम वरिष्ठ शिशु रोग विशेषज्ञ
3. आनुवंशिकी विज्ञानी (राज्य सरकार द्वारा मनोनीत)
4. तीन विख्यात सामाजिक कार्यकर्ता, जिनमें से कम से कम एक महिला संगठन के प्रतिनिधि में से होगा (राज्य सरकार द्वारा मनोनीत)
5. जिला सूचना एवं प्रसार अधिकारी।
6. विधि विशेषज्ञ (राज्य सरकार द्वारा मनोनीत)

नोट :-

1. सलाहकार समिति में क्रम सं: एक व दो पर अंकित सदस्यों में से जो भी वरिष्ठ होगा, वह सलाहकार समिति का अध्यक्ष होगा।
2. सलाहकार समिति में क्रम सं. 1, 2 एवं 5 के अतिरिक्त अन्य सदस्यों का कार्यकाल तीन वर्ष का रहेगा।
3. सलाहकार समिति की किन्हीं दो बैठकों के मध्य 60 दिवस से अधिक का अन्तराल नहीं होगा।

आज्ञा से

(पी. लाल)
उप शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. सचिव, मा. मुख्यमंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, राज्य मंत्री, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं प.क. राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार, जयपुर।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं प.क. विभाग, राज. जयपुर।
5. निजी सचिव, विशिष्ट शासन सचिव, चिकित्सा स्वा. विभाग, राज. जयपुर।
6. समस्त जिला कलेक्टर, राजस्थान।
7. अनुभागाधिकारी, माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली।
8. सहायक आयुक्त (पॉलिसी) स्वास्थ्य एवं प.क. मंत्रालय, भारत सरकार, निर्माण भवन, नई दिल्ली।
9. निदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर।
10. निदेशक, जन सम्पर्क विभाग, राजस्थान, जयपुर।
11. निदेशक (प.कं.)/(जन स्वास्थ्य)/(आई.ई.सी.)/(एड्स) मु.।
12. समस्त प्रधानाचार्य, मेडिकल कालेज, राजस्थान।
13. विशेषाधिकारी चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राज., जयपुर।
14. समस्त संयुक्त निदेशक (जोन) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, राजस्थान।
15. समस्त उपखण्ड अधिकारी, राजस्थान।
16. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, राजस्थान।
17. समस्त उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (प.का.) उपखण्ड, राजस्थान।
18. समस्त प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, राजस्थान।
19. समस्त मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य अधिकारी, राजस्थान।
20. समस्त जिला सूचना एवं प्रसार अधिकारी, राजस्थान।
21. अधीक्षक, राजकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को भेजकर लेख है कि कृपया इसे आज के असाधारण राजस्थान राजपत्र में प्रकाशित करने का श्रम करें।
22. रक्षित पत्रावली।

(उप शासन सचिव)

राजस्थान सरकार

चिकित्सा (ग्रुप-5) विभाग

क्रमांक प.12 (38) चि.5/94-पार्ट-III

जयपुर दिनांक 16 जून, 2001

अधिसूचना

प्रसवपूर्व निदान तकनीक (विनियमन और दुरुपयोग निवारण) अधिनियम, 1994 की धारा 17 की उपधारा (5) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार समस्त समुचित प्राधिकारियों को उनके कृत्यों के निर्वहन में सहायता करने एवं सलाह देने के लिए प्रत्येक उपखण्ड क्षेत्र के लिए एक सलाहकार समिति का गठन करती है, जिसमें निम्नांकित सदस्य होंगे :

1. वरिष्ठतम कनिष्ठ स्त्री रोग विशेषज्ञ
2. वरिष्ठतम कनिष्ठ शिशु रोग विशेषज्ञ
3. आनुवंशिकी विज्ञानी (राज्य सरकार द्वारा मनोनीत)
4. तीन विख्यात सामाजिक कार्यकर्ता, जिनमें से कम से कम एक महिला संगठन के प्रतिनिधि में से होगा (राज्य सरकार द्वारा मनोनीत)
5. जिला सूचना एवं प्रसार अधिकारी अथवा उसका प्रतिनिधि।
6. विधि विशेषज्ञ (राज्य सरकार द्वारा मनोनीत)

नोट :-

1. सलाहकार समिति में क्रम सं. 1 व 2 पर अंकित सदस्यों में से जो भी वरिष्ठ होगा, वह सलाहकार समिति का अध्यक्ष होगा।
2. सलाहकार समिति में क्रम सं. 1, 2 एवं 5 के अतिरिक्त अन्य सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष का रहेगा।
3. सलाहकार समिति की किन्हीं दो बैठकों के मध्य 60 दिवस से अधिक का अन्तराल नहीं होगा।

आज्ञा से

(पी. लाल)
उप शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. सचिव, मा. मुख्यमंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, राज्य मंत्री, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं प.क. राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार, जयपुर।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं प.क. विभाग, राज. जयपुर।
5. निजी सचिव, विशिष्ठ शासन सचिव, चिकित्सा स्वा. विभाग, राज. जयपुर।
6. समस्त जिला कलेक्टर, राजस्थान।
7. अनुभागाधिकारी, माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली।
8. सहायक आयुक्त (पॉलिसी) स्वास्थ्य एवं प.क. मंत्रालय, भारत सरकार, निर्माण भवन, दिल्ली।
9. निदेशक, महिला एवं बाल विभाग, राजस्थान, जयपुर।
10. निदेशक, जन सम्पर्क विभाग, राजस्थान, जयपुर।
11. निदेशक (प.क.)/(जन स्वास्थ्य)/(आई.ई.सी.)/ (एड्स) मु.।
12. समस्त प्रधानाचार्य, मेडिकल कालेज, राजस्थान।
13. विशेषाधिकारी चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राज., जयपुर।
14. समस्त संयुक्त निदेशक (जोन) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, राजस्थान।
15. समस्त उपखण्ड अधिकारी, राजस्थान।
16. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, राजस्थान।
17. समस्त उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (प.क.) उपखण्ड, राजस्थान।
18. समस्त प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, राजस्थान।
19. समस्त मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य अधिकारी, राजस्थान।
20. समस्त जिला सूचना एवं प्रसार अधिकारी, राजस्थान।
21. अधीक्षक, राजकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को भेजकर लेख है कि कृपया इसे आज के असाधारण राजस्थान राजपत्र में प्रकाशित करने का श्र करें।
22. रक्षित पत्रावली।

(उप शासन सचि

अधिसूचना